ting of Government accommodation by Government employees in different colonies of Delhi|New Delhi;

(b) if so, the number of employees who have let out their accommodation as on 31st January, 1993, area-wise;

(c) the action taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) During the last one year preceding 31st January, 1993 541 inspections were carried out and subletting was found in 181 cases, which were cancelled under the allotment of Government Residence (General Pool in Delhi) Rules, 1963. No statistics are being maintained area wise.

गुजरात में शहरी गन्दी बस्तियों में वर्षा के जल की निकासी

2248. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को राज्य में शहरी गन्दी बस्तियों से वर्षा के जल की निकासी हेतु कोई सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसका ब्यौरा क्या है और इस योजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में किन-किन जिलों/क्षेत्रों में ऐसी सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) राज्य क्षेत्र में, "शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ई०आई०यू०एस०) नाम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्लम सुधार हेतु एक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्लमों में कम लागत की जल आपूर्ति, नालियां, सामुदायिक स्नानघर तथा शौचालय, गलियों का चौड़ा करना तथा खड़ंजे बिछाना और पथ-प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधायें मुहैया की जाती हैं । राज्य सरकारों द्वारा शहरी स्लम बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत स्लम सुधार की परियोजनायें अपने राज्य योजना प्रावधानों में आरम्भ करना अपेक्षित है । इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर चयनित शहरों और क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

आवास एजेन्सियों की स्थापना

2249. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय राज्य और जिला स्तर पर आवास एजेंसियां स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का जिलावार ब्यौरा क्या है जहां एजेंसियां स्थापित की गई हैं ; और

(ग) उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां ये एजेंसियां स्थापित नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) आवास राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य/जिला स्तर पर आवास एजेंसियां गठित करने के प्रश्न पर निर्णय लेना राज्य सरकारों का काम है । तथापि अधिकांश

राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर आवास बोर्ड/निगम गठित किये हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राज-स्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, चंडीगढ़, पांडिचेरी, गोवा, असम, उड़ीसा, दादर तथा नगर हवेली, मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्य में आवास बोर्ड विद्यमान हैं । अनेक शहरों में विकास प्राधिकरण मकानों का निर्माण करते हैं ।

डा० अम्बेडकर आवास योजना का ड्रा

2259. **श्री लक्खो राम अग्रवाल :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "डा० अम्बेडकर आवास योजना" के लिये नवम्बर-दिसम्बर 1989 में पंजीकरण किया था और इसका ड्रा दो वर्षों के बाद निकाला गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त योजना से संबंधित पंजीकरण नियमों के अनुसार यदि पंजीकरण कराने के एक वर्ष के बाद ड्रा निकाला जाता है तो असफल प्रत्याशी ब्याज के लिये हकदार हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा असफल प्रत्याशियों को उनकी पंजीकरण की राशि पर ब्याज न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत पंजी-करण हेतु आवेदन नवम्बर-दिसम्बर, 1989 में आमंत्रित किये गये थे । एक वर्ष 10 माह उपरांत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग तथा जनता श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु ड्रा निकाला गया था, क्योंकि यह मामला न्यायाधीन था । मध्यम आय वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी ड्रा निकाला जाना है क्योंकि अक्तूबर, 1992 तक न्यायालय स्थगन आदेश था ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार जी, नहीं ।

(ग) पैरा (ख) में दिये गये उत्तर के संदर्भ में, प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आसान किस्तों पर फ्लैटों का आवंटन

2261. **श्री राम नरेश यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इस वर्ष आसान किस्तों पर फ्लैटों के आवंटन के लिये एक योजना आरम्भ करने का विचार रखता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का कब से प्रारंभ किए जाने की संभावना है ; और

(ग) भवन निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिये कौन-कौन से उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) भूमि तथा बुनियादी सेवाओं की सुलभता पर दिल्ली विकास प्राधि-करण द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक पिछले बकायों को समाप्त करने के लिये योजनायें तैयार की गई हैं ।